"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई 2013—आषाढ़ 21, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2013

क्रमांक 1122/356/अव./2012/1-8/स्था.—श्री जवाहर श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव (संविदा), राजभवन सचिवालय को दिनांक 01-06-2013 से 14-06-2013 तक 14 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15 एवं 16-06-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव, आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, राजभवन सचिवालय के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

3. अवकाश अवधि में श्री श्रीवास्तव को अवकाश, वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 मई 2013

क्रमांक एफ 9-3/2013/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा), मंत्रालय में अवर सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति में पदस्थ श्री नटवर लाल वर्मा (मूल पद-मुख्य विद्युत शुल्क अधिकारी, ऊर्जा विभाग) को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि 31-05-2013 के पश्चात् छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 4 (3) के तहत, मंत्रालय के सेटअप में अन्य संवर्ग के लिए स्वीकृत अवर सचिव के रिक्त पदों में से एक पद को संविदा का पद घोषित करते हुए उक्त पद पर श्री वर्मा को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा उक्त पद की पूर्ति होने तक, जो भी पहले हो, तब तक के लिए संविदा पर नियुक्त करता है.

2. श्री वर्मा की संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के तहत पृथक से जारी की जाएगी.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2013

क्रमांक 453/362/अव./2013/1-8/स्था.—श्री एम. एल. ताम्रकर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 03-06-2013 से 14-06-2013 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 02, 15 तथा 16-06-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ताम्रकर आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री ताम्रकर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ताम्रकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2013

क्रमांक 455/403/अव./2013/1-8/स्था.—श्री सुनील विजयवर्गीय अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 20-05-2013 से 28-05-2013 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 18 तथा 19-05-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विजयवर्गीय आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री विजयवर्गीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2013

क्रमांक 457/416/अव./2013/1-8/स्था.—श्री ऋषभ कुमार पराशर, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 20-05-2013 से 07-06-2013 तक 19 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 18, 19-05-2013 तथा 08, 09-06-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पराशर आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पराशर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2013

क्रमांक 459/432/अव./2013/1-8/स्था.—श्री संजय कनकने, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 03-06-2013 से 07-06-2013 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 02, 08 तथा 09-06-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कनकने आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कनकने को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कनकने अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2013

क्रमांक 461/249/अव./2013/1-8/स्था.—श्री एस. के. तिवारी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 02-04-2013 से 18-04-2013 तक 17 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 19, 20 तथा 21-04-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री तिवारी आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री तिवारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2013

क्रमांक 463/435/अव./2013/1-8/स्था.—श्रीमती दुर्गा देवांगन, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन/संस्कृति विभाग को दिनांक 13-05-2013 से 24-05-2013 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 11, 12, 25 तथा 26-05-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा देवांगन आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन/संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती देवांगन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती देवांगन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2013

क्रमांक 465/293/अव./2013/1-8/स्था.—श्रीमती रेजीना टोप्पो, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 01-05-2013 से 10-05-2013 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 11 तथा 12-05-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती टोप्पो आगामी आदेश तक उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती टोप्पो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती टोप्पो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2013

क्रमांक 467/424/अव./2013/1-8/स्था.—श्री कमर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 20-05-2013 से 01-06-2013 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 18, 19-05-2013 तथा 02-06-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अली आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 31 मई 2013

क्रमांक एफ 9-5/2013/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा मंत्रालय सेटअप में अन्य संवर्ग के लिए स्वीकृत उप-सचिव के रिक्त पदों में से एक पद को संविदा का पद घोषित करता है तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 4 (3) के तहत्, श्री एस. के. चक्रवर्ती (राज्य वित्त सेवा), उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि 31-05-2013 के पश्चात् उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक एक वर्ष के लिए वित्त विभाग में उप-सचिव के उक्त पद पर संविदा नियुक्ति पर पदस्थ करता है.

2. श्री चक्रवर्ती की संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के तहत पृथक से जारी की जाएगी.

रायपुर, दिनांक 6 जून 2013

क्रमांक 469/439/अव./2013/1-8/स्था.—श्री के. आर. मिश्रा, अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 11-06-2013 से 14-06-2013 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15 तथा 16-06-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. आर. मिश्रा आगामी आदेश तक अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 जून 2013

क्रमांक 471/313/अव./2013/1-8/स्था.—श्री एस. के. दुबे, उप संचालक (वित्तीय प्रकोष्ठ), आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 27-05-2013 से 14-06-2013 तक 19 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25, 26-05-2013 तथा 15, 16-06-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दुबे आगामी आदेश तक उप संचालक (वित्तीय प्रकोष्ठ) आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दुबे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2013

क्रमांक 473/1049/अव./2013/1-8/स्था.—श्री उमेश द्विवेदी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (संविदा नियुक्त), मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 17-06-2013 से 02-07-2013 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15 तथा 16-06-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री द्विवेदी आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री द्विवेदी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2013

क्रमांक 482/24/अव./2013/1-8/स्था.—श्री बी. आर. साहू, स्टॉफ ऑफिसर, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 26-12-2012 से 04-01-2013 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-12-2012 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. साहू आगामी आदेश तक स्टॉफ ऑफिसर, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री साहू को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साहू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2013

क्रमांक 484/328/अव./2013/1-8/स्था.—श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, उप सचिव, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 13-05-2013 से 17-05-2013 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 11, 12, 18 तथा 19-05-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला आगामी आदेश तक उप सचिव, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री शुक्ला को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2013

क्रमांक 486/268/अव./2013/1-8/स्था.—श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव, वित्त विभाग को दिनांक 06-05-2013 से 07-06-2013 तक 33 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 05-05-2013 तथा 08, 09-06-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव आगामी आदेश तक अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री श्रीवास्तव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातें तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2013

क्रमांक 493/1473/अव./2013/1-8/स्था.—श्री प्रशांत लाल, शोध अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 17-06-2013 से 22-06-2013 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15, 16 तथा 23-06-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत लाल आगामी आदेश तक शोध अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री लाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जून 2013

क्रमांक 5391/1757/21-ब/2013.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) रेव्ह. पास्टर मरकुस दास, असेम्बली ऑफ गॉड चर्च, पेण्ड्रारोड, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में :—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने; और
2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 5391/1757/21-B/2013.—In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government is pleased to grant license to (Minister of Religion) Rev. Paster Markus Das, Assembly of God Church, Pendra Road, Bilaspur for District Bilaspur of State of Chhattisgarh :—

1. to Solemnize Marriage; and
2. to grant Cerificate of marriages solemnised between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जून 2013

क्रमांक एफ 1-46/2013/16.—भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) रेग्यूलेशन, 1997 के प्रावधानों के तहत, गैर राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के प्रयोजन हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा श्रम विभाग के श्रम पदाधिकारी के सीधी भर्ती के पद को राज्य सिविल सेवा के उप-जिलाध्यक्ष पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2013

क्रमांक एफ 10-03/2013/16.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) के नियम 2(g) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय, श्रम विभाग) के निम्नांकित कॉलम 02 में उल्लेखित अधिकारियों को कॉलम 03 में उल्लेखित क्षेत्रों के लिए उपकर निर्धारण अधिकारी नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	क्षेत्राधिकारिता (3)
1.	छत्तीसगढ़ राज्य में पदस्थ समस्त प्रवर्तन अधिकारी	उन्हें आवंटित क्षेत्राधिकारिता
2.	छत्तीसगढ़ राज्य में पदस्थ समस्त सहायक श्रमायुक्त	उन्हें आवंटित क्षेत्राधिकारिता

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 जून 2013

क्रमांक एफ 1-16/2004/11/(6)पार्ट.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-1/2013/1/2, दिनांक 28-05-2013 के परिपालन में श्री ईमिल लकड़ा (भाप्रसे) द्वारा दिनांक 20-06-2013 को पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें का कार्यभार ग्रहण किया गया है.

2. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्री लकड़ा को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) की धारा 4 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 58(1) के तहत पंजीयक की समस्त शक्तियां आगामी आदेश होने तक प्रदत्त की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जून 2013

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित नगरों के निवेश क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है :—

निवेश क्षेत्रों का नाम :—

जिला बिलासपुर— (1) तखतपुर (2) पथरिया (3) सरगांव (4) नवागढ़

जिला रायपुर— (1) पलारी (2) कसडोल (3) टुण्डरा (4) बिलाईगढ़ (5) छूरा (6) फिंगेश्वर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 28 जून 2013

क्रमांक 292/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 19/अ. 82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	बरौदा प.ह.नं. 17	1198	0.01	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी रायपुर.	नया रायपुर क्षेत्र में भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के लिए (D.V.O.R.) निर्माण हेतु.
			1702	0.37		
			1269	0.67		
			1270	0.10		
			1284	0.20		
			1285	0.15		
			1286	0.01		
			1289	0.07		
			1292	0.22		
			1293	0.06		
			1294	0.93		
			1299	0.16		
			1300	0.10		
			1301	0.62		
			1302	0.11		
			1303	0.11		
			1306	0.03		
			1307	0.05		
			1308	0.04		
			1310	0.02		
			1312	0.11		
			1315	0.36		
			1316	0.21		
			1317	0.14		
			1318	0.14		
			1319	1.95		
			1321	0.09		
			1322	0.20		
			1323	0.16		
			1324	0.01		
			1327	0.08		
			1328	0.38		
			1329	0.22		
			1330	0.12		
			1331	0.23		
			1332	0.75		
			1333	0.96		
			1334	0.34		
			1337	0.42		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1339	0.10		
			1340	0.16		
			1341	0.03		
			1342	0.40		
			1363	0.02		
			1364	0.05		
		योग	45	11.66		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2013

क्रमांक 293/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 25/अ. 82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	चीचा प.ह.नं. 17	166/3	0.10	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी रायपुर.	नया रायपुर के विकास कार्य हेतु (योजना क्षेत्र)
			233	0.83		
			272	0.03		
		योग	3	0.96		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 26 जून 2013

क्रमांक/164/2 अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	नवागांव प. ह. नं. 36	0.18	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, दुर्ग संभाग, दुर्ग.	बेलौदी, सोरम, धूमा, नवागांव पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 जून 2013

क्रमांक/167/3 अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	गभरा प. ह. नं. 15	0.02	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, दुर्ग संभाग, दुर्ग.	तर्रा से भिलाई 03 पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2013

क्रमांक/1833/अ.भू-अ.प्र./01/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	दुर्ग प. ह. नं. 24	0.017	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग दुर्ग.	नगर पहुंच मुख्य मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2013

क्रमांक/1836/अ.भू-अ.प्र./06/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	डोड़की प. ह. नं. 24, 17, 18	15.83	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग (छत्तीसगढ़)	तुमाखुर्द जलाशय के नहर निर्माण एवं डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2013

क्रमांक/1839/अ.भू-अ.प्र./10/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	खुरसीडोह प. ह. नं. 03	2.34	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग (छत्तीसगढ़)	भरदा जलाशय के डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2013

क्रमांक/1842/अ.भू-अ.प्र./11/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	अरसी प. ह. नं. 17	0.33	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग दुर्ग (छत्तीसगढ़)	अरसी लिटिया पहुंच मुख्य मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2013

क्रमांक/1845/अ.भू-अ.प्र./12/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	लिमतरा प. ह. नं. 50	0.968	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग दुर्ग (छत्तीसगढ़)	ग्राम पहुंच मार्ग हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2013

क्रमांक/1848/अ.भू-अ.प्र./13/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	नंदौरी प. ह. नं. 50	0.38	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग दुर्ग (छत्तीसगढ़)	ग्राम पहुंच मार्ग हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2013

क्रमांक/1851/अ.भू-अ.प्र./14/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	परसदा प. ह. नं. 27	0.05	उप महाप्रबंधक (निर्माण), पावरग्रिड कार्पो. ऑफ इंडिया लि., पद्मनाभपुर, दुर्ग (छ.ग.)	पावर पुलिंग स्टेशन निर्माण योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2013

क्रमांक/1854/अ.भू-अ.प्र./15/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	मेडेसरा प. ह. नं. 30	0.23	उप महाप्रबंधक (निर्माण), पावरग्रिड कार्पो. ऑफ इंडिया लि., पद्मनाभपुर, दुर्ग (छ.ग.)	पावर पुलिंग स्टेशन निर्माण योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 21 जून 2013

क्रमांक/4233/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-चोरहाबंजारी, प.ह.नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.057 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	152/2	0.073
	153	0.049
	154/2	0.069
	154/1	0.036
	155/1	0.036
	169/1	0.077
	163	0.049
	164/1	0.335
	164/2	0.032
	170	0.101
	169/4	0.049
	181/8	0.053
	181/2	0.049
	180/2	0.049
योग	14	1.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरियानाला बैराज के चोरहाबंजारी माइनर के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 जून 2013

क्रमांक/4234/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मोतीपुर, प.ह.नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-756.76 वर्गमीटर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (वर्गमीटर में) (2)
312/8	25.84
312/8/क	33.11
312/33	80.84
312/270/क	13.68
312/7, 312/38, 312/39	24.51
312/240/1	32.94
312/242/क	21.60
311/19/क	22.09
312/12	37.20
312/12/ख	24.40
3212/247	27.75
312/46/क	28.49
312/46	33.55
312/51	20.90
312/62, 313/40	15.20
312/47	16.83
312/262/क	14.40
312/6/ख	20.24
312/3/ख	22.00
312/3/क	13.68
312/3/ग	29.48
312/3	16.75
312/13/क, 312/118/क, 313/57, 314/58, 315/65, 316/57, 312/117/क, 313/56, 314/57, 315/64, 316/56, 312/116/क, 313/62, 314/65, 315/66, 316/62	67.36

(1)	(2)
312/112/क, 313/57/1, 314/58/1, 315/65/1, 316/57/1	8.39
312/252, 313/177, 314/178, 315/185	12.37
312/203, 313/142, 314/143, 315/151	18.30
312/37/क, 313/36, 314/33, 315/36, 316/27	6.03
312/142/ख, 313/81, 314/82, 315/90, 316/91	7.65
312/239/क, 313/169, 314/170, 315/177, 316/178	6.03
312/204, 313/143, 314/144, 315/152, 316/156	6.93
312/261, 313/185, 314/186, 315/192, 316/203	6.93
312/249, 313/172, 314/173, 315/181, 316/182	4.62
योग 85	756.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोतीपुर लेंवल क्रासिंग क्रमांक 461 में रेल्वे अंडरब्रिज (ममता नगर की ओर) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 जून 2013

क्रमांक/4318/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-गुंगेरी नवागांव, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.141 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
361/1	0.077
362	0.016
363/1	0.008
359/1	0.040
योग 4	0.141

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के बरगांव माइनर के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 जून 2013

क्रमांक/4322/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-गुंगेरी नवागांव, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.178 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
247/2	0.048
247/3	0.081

	(1)	(2)
	252/1	0.049
योग	3	0.178

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के गुंगेरी नवागांव माइनर के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 18 जून 2013

क्रमांक/6419/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ढेकुना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.71 हेक्टेयर.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	21	0.02
	19	0.28
	20	0.12
	18	0.08
	35	0.08
	17	0.15
	36	0.07
	16	0.02
	39	0.06
	14	0.04
	38	0.07
	42	0.26
	43	0.13
	45/1	0.09
	45/2	0.24
योग	15	1.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कुरना मार्ग महानदी सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 18 जून 2013

क्रमांक/6422/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुरना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
588	0.10
589/4	0.06
589/8	0.03

(1)	(2)
594/4	0.01
योग	0.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कुरना मार्ग महानदी सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 18 जून 2013

क्रमांक/6426/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.93 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
640	0.27
642	0.33
643	0.01
644	0.11
645	0.03
646	0.16
662	0.01
663	0.01
योग	0.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कुरना मार्ग महानदी सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 25 जून 2013

क्रमांक/6583/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-श्रीरामनगर कांकेर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.50 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
29/2	4.50
योग	4.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-अटल बिहार योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 26 जून 2013

क्रमांक/371/भू-अर्जन/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
(ख) तहसील-बिलाईगढ़
(ग) नगर/ग्राम-चिचोली, प.ह.नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल-31.907 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11/2	0.020
45	0.109
557/2	0.101
553/3	0.032
518	0.028
30	0.263
23	0.065
25/1	0.018
211/1	0.056
531/2, 1021/7	0.022
550/7, 551/2	0.115
624/2, 625/2	0.187
145/2	0.101
96	0.194
2/11	0.008
170/8	0.034
266/3, 269/3	0.226
266/5, 269/5	0.085
268/2	0.005
18/2	0.073
276, 1036/2	0.028
11/1	0.049
137/2	0.038
275/2, 1039/2	0.040
275, 1021/1ख/2	0.024
274, 1035/2	0.020
274, 1035/4	0.011
208/2	0.052
208/5	0.020
208/8	0.064
144/1	0.162
44/1	0.033
78/1, 79/1	0.121
93, 94	0.044
120/1, 121/1	0.091
14	0.279
169	0.607
279	0.534
22	0.077
161/2	0.066
157	0.324
531/1, 1021/3	0.045
172/2	0.028
2/6, 7/1	0.022
74	0.024
99	0.101
267/2	0.008
13	0.097
542, 543	0.130
544	0.012
271, 1037/2	0.056
11/5	0.037
511/2	0.057
2/5ख, 6/2	0.016
15	0.081
113	0.599
530/2, 1021/2ख, 7	0.065
1022/2	0.024
2/9घ, 9/3	0.020
533/1, 1021/5	0.034
547/3, 547/4, 548/4	0.073
550/4	0.006
11/4	0.020
44/2	0.032
78/2, 79/2	0.121
120/2, 121/2	0.091
533/2, 1021/9	0.035
532/2, 1021/8	0.127
12/4ख, 5/2	0.008
28/2	0.024
322/2, 323/2, 325/2	0.048
422/1	0.016
209/1, 209/2	0.081
199	0.522
92/2	0.142
137/3	0.038

(1)	(2)
275/3, 1039/3	0.060
275/6, 1039/6	0.033
275, 1021/1ख/3	0.024
208/3	0.052
208/6	0.056
137/4	0.038
275/4, 1039/4	0.060
275/7, 1039/7	0.032
275, 1021/1ख/4	0.024
207	0.036
208/4	0.024
208/7	0.056
208/9	0.052
75	0.028
170/3	0.053
172/3	0.028
547/1, 548/1, 549/1	0.210
533/3, 1021/10	0.035
11/3	0.036
511/1	0.057
198/1	0.190
2/9ख, 9/2	0.006
328	0.036
2/9ग	0.014
326	0.194
327	0.061
12	0.097
320/3	0.027
521/3	0.006
539/4	0.016
18/1	0.073
19/1	0.035
273	0.016
524/2	0.024
526/1	0.024
527/1	0.017
271, 1037/1	0.029
31/2	0.154
118	0.040
153/2	0.065
163/2	0.061
521, 1013	0.134
2/7	0.008

(1)	(2)
170/2	0.027
266/1, 269/1	0.052
266/4, 269/4	0.024
266/7, 269/7	0.114
268/3	0.006
145/1	0.146
98	0.036
170/1	0.053
533/4, 1021/11	0.034
77/2	0.152
95/2	0.076
116/2, 117/2	0.110
138/2	0.289
530/3, 1021/1ग	0.022
547/2, 548/3	0.178
2/12	0.008
172/1	0.028
266/2, 269/2	0.061
266/6, 269/6	0.077
268/1	0.005
21	0.077
5/1	0.066
322/1, 323/1, 325/1	0.093
522/2	0.012
72	0.113
77/1	0.151
95/1	0.076
116/1, 117/1	0.110
138/1	0.288
530/1, 1021/2क, 2/8	0.022
8	0.064
26	0.077
143	0.267
180	0.113
529/1, 529/2	0.660
280/6	0.105
196	0.134
195/2	0.097
2/13, 7/2	0.022
171	0.106
267/1	0.008
539/3	0.106

(1)	(2)	(1)	(2)
24	0.014	19/2	0.034
553/2	0.033	527/2	0.032
554/3, 555/3, 556/3, 559/3, 560/3, 567/3, 573/3	0.809	199	0.089
		200/2, 202/2, 203/2	0.831
17	0.150	1020/2, 144/2	0.040
272	0.016	2/4ग, 5/3, 322/4	0.008
525/2	0.012	323/4, 325/4	0.049
360, 1034, 273	0.069	522/3	0.016
1036/1	0.032	209/1, 209/2	0.081
532/1, 1021/4	0.128	2/9क	0.016
2/1क	0.008	9/1, 73	0.198
2/3क, 4/1, 523/1	0.012	151	0.077
523/2	0.052	166	0.291
537/2, 538/2	0.094	534	0.093
320/2	0.027	1021/6, 558	0.304
46	0.085	25/2	0.018
161/1	0.128	211/2	0.057
197/1	0.089	519	0.012
2/2, 3	0.038	535	0.118
27	0.053	536, 550/6, 531/3	0.022
200/1, 202/1, 203/1, 1020/1	0.413	1021/7, 624/3	0.188
76	0.026	625/3, 11/6	0.036
92/1	0.141	511/3	0.056
137/1	0.113	198/2	0.093
274	0.081	2/1ख	0.016
275/1, 1039/2	0.116	2/3ख	0.012
275/5, 1039/5	0.060	4/2, 2/3ग	0.008
275/8, 1039/8	0.040	4/3, 523/3	0.024
275, 1021/1ख/1	0.025	2/5क	0.020
274, 1035/1	0.020	6/1, 77/3	0.151
274, 1035/3	0.010	95/3	0.075
208/1	0.591	116/3	0.111
319	0.073	117/3, 138/3	0.289
520	0.024	530/4,	0.021
540, 541	0.122	1021/1घ, 7	0.024
545	0.116	1022/1, 276/1	0.070
546	0.024	320/1	0.027
551, 1057/3	0.028	521/1	0.003
277/1	0.029	539/1	0.054
516	0.105	2/4घ	0.008
525/1	0.012	5/2, 550/16	0.029
537/1, 538/1	0.078	207/7	0.081

(1)	(2)
201/2	0.036
517	0.012
514	0.061
1054, 551	0.032
1057/2, 2/4क	0.006
28/1	0.025
162	0.190
322/3, 323/3, 325/3	0.089
326/2	0.012
114/2, 115/2	0.073
321	0.109
276/2	0.070
521/2	0.003
539/2	0.054
70	0.057
163/1	0.275
277/2	0.028
553/4	0.032
548/2, 549/2	0.105
114/1, 115/1	0.077
149	0.081
29	0.105
97	0.239
150	0.069
557/3	0.238
20	0.069
271	0.016
528	0.049
281/1038	0.158
158	0.170
195/1	0.146
195/3	0.421
146/2	0.134
526/2	0.008
553/1	0.032
554/2, 555/2, 556/2, 559/2, 560/2, 567/2, 573/2, 554/4	1.214
555/4, 556/4, 559/4, 560/4, 567/4, 573/4, 588/1	1.063
589/1, 590/1, 591/1झ, 588/2	0.607
589/2, 590/2, 591/1ख, 588/3	1.417
589/3, 590/3, 591/3, 588/4	0.405
589/4, 590/4, 591/1	0.490
153/1	0.081
204	0.166
205	0.016
206	0.085
550/9	0.040
550/10	0.202
550/18	0.006
1057/3	0.028
550/14	0.202
219	0.106
550/19	0.006
550/8	0.006
550/3	0.028
550/11	0.262
146/2	0.133
550/5	0.020
550/4	0.006
551/1057/1	0.052
550/17	0.060
310/1042	0.012
550/16	0.029
551/2057/5	0.051
551/1057/6	0.051
551/1057/4	0.052
योग 447	31.907

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बसंतपुर बैराज परियोजना के निर्माण कार्य एवं डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दुर्ग, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्रमांक/सतर्कता समिति/बंधक श्रम/2012.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 2 के अनुसार राजस्व जिला दुर्ग के लिए निम्नानुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम/पदनाम (2)	समिति के पद (3)
1.	जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग	अध्यक्ष
2.	**जिले में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य**	
	1. श्री डोमन लाल कोर्सेवाडा माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र अहिवारा	सदस्य
	2. सुश्री रेखा कुर्रे सदस्य जिला पंचायत दुर्ग	सदस्य
	3. डॉ. देवनारायण तांडी सभापति नगर पालिक निगम दुर्ग	सदस्य
3.	**जिले में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता**	
	1. श्री प्रशांत गुप्ता अध्यक्ष रोटरी क्लब भिलाई (ग्रेटर हाउसिंग बोर्ड)	सदस्य
	2. श्री वीरेन्द्र नागवंशी अध्यक्ष जन सेवक समिति भिलाई 03	सदस्य
4.	**जिले में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि**	
	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग (पदेन)	सदस्य
	2. उप संचालक पंचायत दुर्ग (पदेन)	सदस्य
	3. श्री अजय बघेल सदस्य जिला पंचायत दुर्ग	सदस्य
5.	**जिले में वित्तीय और ऋण संस्थाओं का एक प्रतिनिधि**	
	1. लीड बैंक अधिकारी जिला दुर्ग (पदेन)	सदस्य

2. उक्त समिति अधिनियम की धारा 14 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक (सिविल) 3922/1985, पब्लिक यूनियन फार सिविल लिबर्टीस विरुद्ध तमिलनाडू राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-10 2012 के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्य करेगी :—

I. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक 03 वर्ष में एक बार कराया जाकर सर्वेक्षण के परिणाम का डाटाबेस एवं पुनरीक्षित प्रतिवेदन वेबसाईट में उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया जावेगा.

II. ईट भट्ठों, पत्थर खदान, पत्थर तोड़ने की खान, बीड़ी निर्माण, कारपेट बनाना, निर्माण उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी असंगठित एवं अनौपचारिक सेक्टर, पावरलुम, काटन हैण्डलुम आदि क्षेत्रों में बंधक श्रमिकों की व्याप्तता के दृष्टिगत समिति सर्वेक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्यवाही करेंगी.

III. यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों का समुचित रूप से क्रियान्वयन, किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के बारे में जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देगी.

IV. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेगी.

V. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसायटी के कृत्यों का समन्वय करेगी.

VI. उन अपराधों की संख्या पर नजर रखेगी जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है.

VII. यह सर्वेक्षण करेगी कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था.

VIII. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के संदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके [illegible] भाग की वसूली के लिए हो जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है.

IX. सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किए गए बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किये गये बंधित श्रमिक का, ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जाएगा.

3. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 3 (1) के अनुसार अधिनियम के धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड ख, ग, घ एवं ङ अंतर्गत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 2 वर्ष का रहेगा और उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् उत्तराधिकारी के नामित होने तक पद पर बने रहेंगे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-10-2012 के अनुसार समिति का पुनर्गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जावेगा.

4. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 7 के अनुसार अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार अभिलेख संधारित किया जायेगा.

I. विमुक्त बंधक श्रमिकों के नाम एवं पता संबंधित पंजी,

II. विमुक्त बंधक श्रमिकों के पेशा, व्यवसाय एवं आय से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े से संबंधित पंजी.

III. विमुक्त बंधक श्रमिकों को प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित पंजी, जिसमें आर्थिक सहायता, कृषि के लिए उपकरण प्रदाय, हस्तशिल्प या सहायक व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण, ऋण प्रदाय की जानकारी तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदाय संबंधी जानकारी सम्मिलित है,

IV. अधिनियम की धारा 6 की धारा (6) धारा 8 की उपधारा (2), धारा 9 की उपधारा (2), धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20 के अंतर्गत प्रकरणों का विस्तृत विवरण दर्शाने वाली पंजी.

5. प्रत्येक सतर्कता समिति अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी.

दुर्ग, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्रमांक/सतर्कता समिति/बंधक श्रम/2012.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 3 के अनुसार राजस्व अनुविभाग दुर्ग जिला दुर्ग के लिए निम्नानुसार अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम/पदनाम (2)	समिति के पद (3)
1.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दुर्ग	अध्यक्ष

(1)	(2)	(3)
2.	**अनुविभाग में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य**	
	1. श्री चंद्रशेखर बंजारे अध्यक्ष जनपद पंचायत दुर्ग	सदस्य
	2. श्रीमति तुलसी ठाकुर सदस्य जनपद पंचायत दुर्ग	सदस्य
	3. श्री प्रेम सागर चतुर्वेदी सदस्य जनपद पंचायत धमधा	सदस्य
3.	**अनुविभाग में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता**	
	1. डॉ. छत्रसाल गायकवाड़ कसारीडीह दुर्ग	सदस्य
	2. श्री गिरधर मढरिया बोरसी दुर्ग	सदस्य
4.	**अनुविभाग में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि**	
	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग (पदेन)	सदस्य
	2. पंचायत एवं समाज सेवा संगठक दुर्ग (पदेन)	सदस्य
	3. विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग (पदेन)	सदस्य
5.	**अनुविभाग में स्थित वित्तीय और ऋण संस्थाओं का प्रतिनिधि**	
	1. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक दुर्ग (पदेन)	सदस्य
6.	**अधिनियम की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट एवं अनुविभाग में कार्यरत अधिकारी**	
	1. तहसीलदार तहसील दुर्ग	सदस्य/सचिव

2. उक्त समिति अधिनियम की धारा 14 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक (सिविल) 3922/1985, पब्लिक यूनियन फार सिविल लिबर्टीस विरुद्ध तमिलनाडू राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-10-2012 के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्य करेगी :—

I. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक 03 वर्ष में एक बार कराया जाकर सर्वेक्षण के परिणाम का डाटाबेस एवं पुनरीक्षित प्रतिवेदन वेबसाईट में उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया जावेगा.

II. ईट भट्ठों, पत्थर खदान, पत्थर तोड़ने की खान, बीड़ी निर्माण, कारपेट बनाना, निर्माण उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी असंगठित एवं अनौपचारिक सेक्टर, पावरलुम, काटन हैण्डलुम आदि क्षेत्रों में बंधक श्रमिकों की व्याप्तता के दृष्टिगत समिति सर्वेक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्यवाही करेंगी.

III. यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों का समुचित रूप से क्रियान्वयन, किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के बारे में जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देगी.

IV. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेगी.

V. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसायटी के कृत्यों का समन्वय करेगी.

VI. उन अपराधों की संख्या पर नजर रखेगी जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है.

VII. यह सर्वेक्षण करेगी कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था.

VIII. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है.

IX. सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किए गए बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किये गये बंधित श्रमिक का, ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जाएगा.

3. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 3 (1) के अनुसार अधिनियम के धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड ख, ग, घ एवं ङ अंतर्गत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 2 वर्ष का रहेगा और उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् उत्तराधिकारी के नामित होने तक पद पर बने रहेंगे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-10-2012 के अनुसार समिति का पुनर्गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जावेगा.

4. प्रत्येक सतर्कता समिति अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी.

दुर्ग, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्रमांक/सतर्कता समिति/बंधक श्रम/2012.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 3 के अनुसार राजस्व अनुविभाग पाटन जिला दुर्ग के लिए निम्नानुसार अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम/पदनाम (2)	समिति के पद (3)
1.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पाटन	अध्यक्ष
2.	**अनुविभाग में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य**	
	1. श्री खेमलाल देशलहरे उपाध्यक्ष जनपद पंचायत पाटन	सदस्य
	2. श्री देव चरण कौशल सदस्य जनपद पंचायत पाटन	सदस्य
	3. श्री गोपाल ठाकुर सदस्य जनपद पंचायत पाटन	सदस्य
3.	**अनुविभाग में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता**	
	1. श्री लालेश्वर साहू ग्राम बटरेल पाटन	सदस्य
	2. श्री कोसूराम निर्मलकर ग्राम मटंग पाटन	सदस्य
4.	**अनुविभाग में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि**	
	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाटन (पदेन)	सदस्य
	2. पंचायत एवं समाज सेवा संगठक पाटन (पदेन)	सदस्य
	3. विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत पाटन (पदेन)	सदस्य
5.	**अनुविभाग में स्थित वित्तीय और ऋण संस्थाओं का प्रतिनिधि**	
	1. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक पाटन (पदेन)	सदस्य
6.	**अधिनियम की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट एवं अनुविभाग में कार्यरत अधिकारी**	
	1. तहसीलदार, तहसील पाटन	सदस्य/सचिव

2. उक्त समिति अधिनियम की धारा 14 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक (सिविल) 3922/1985, पब्लिक यूनियन फार सिविल लिबर्टीस विरुद्ध तमिलनाडू राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-10-2012 के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्य करेगी :—

I. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक 03 वर्ष में एक बार कराया जाकर सर्वेक्षण के परिणाम का डाटाबेस एवं पुनरीक्षित प्रतिवेदन वेबसाईट में उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया जावेगा.

II. ईट भट्ठों, पत्थर खदान, पत्थर तोड़ने की खान, बीड़ी निर्माण, कारपेट बनाना, निर्माण उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी असंगठित एवं अनौपचारिक सेक्टर, पावरलुम, काटन हैण्डलुम आदि क्षेत्रों में बंधक श्रमिकों की व्याप्तता के दृष्टिगत समिति सर्वेक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्यवाही करेंगी.

III. यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों का समुचित रूप से क्रियान्वयन, किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के बारे में जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देगी.

IV. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेगी.

V. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसायटी के कृत्यों का समन्वय करेगी.

VI. उन अपराधों की संख्या पर नजर रखेगी जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है.

VII. यह सर्वेक्षण करेगी कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था.

VIII. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है.

IX. सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किए गए बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किये गये बंधित श्रमिक का, ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जाएगा.

3. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 3 (1) के अनुसार अधिनियम के धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड ख, ग, घ एवं ङ अंतर्गत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 2 वर्ष का रहेगा और उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् उत्तराधिकारी के नामित होने तक पद पर बने रहेंगे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-10-2012 के अनुसार समिति का पुनर्गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जावेगा.

4. प्रत्येक सतर्कता समिति अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी.

ब्रजेश चन्द्र मिश्र,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)

धमतरी, दिनांक 19 मार्च 2013

क्रमांक 04/बंधक श्रम/2012.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 3 के अनुसार राजस्व जिला धमतरी के लिए निम्नानुसार अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम/पदनाम (2)	समिति में पद (3)
1.	जिला दण्डाधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति	अध्यक्ष
2.	**जिले में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य**	
	1. डॉ. महेश कुर्रे, कुरूद जिला धमतरी	सदस्य
	2. श्री पी. आर. उईके, गोकुलपुर धमतरी	सदस्य
	3. श्री बहुर सिंग मरकाम, रूद्री धमतरी	सदस्य
3.	**जिले में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता**	
	1. श्री शिवचरण नेताम, सोरिद वार्ड धमतरी	सदस्य
	2. श्री सुंदर लाल टण्डन, बेलरगांव जिला धमतरी	सदस्य
4.	**जिले में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय/या अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि**	
	1. श्री विवेक दलेला, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग धमतरी	सदस्य
	2. श्री जे. कुजुर, उपसंचालक पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग धमतरी	सदस्य
	3. श्री जे. एल. ध्रुव, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकीय सेवायें धमतरी	सदस्य
5.	**जिले में स्थित वित्तीय और ऋण संस्थाओं का एक प्रतिनिधि**	
	1. श्री महेन्द्र कुमार मुकेश अग्रणी बैंक अधिकारी जिला धमतरी	सदस्य

2. उक्त समिति अधिनियम की धारा 14 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक (सिविल) 3922/1985, पब्लिक यूनियन फार सिविल लिबर्टीस विरुद्ध तमिलनाडू राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-10-2012 के परिपेक्ष्य में, निम्नानुसार कार्य करेगी :—

I. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक 03 वर्ष में एक बार कराया जाकर सर्वेक्षण के परिणाम का डाटाबेस एवं पुनरीक्षित प्रतिवेदन वेबसाईट में उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया जावेगा.

II. ईट भट्ठों, पत्थर खदान, पत्थर तोड़ने की खान, बीड़ी निर्माण, कारपेट बनाना, निर्माण उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी असंगठित एवं अनौपचारिक सेक्टर, पावरलुम, काटन हैण्डलुम आदि क्षेत्रों में बंधक श्रमिकों की व्याप्तता के दृष्टिगत समिति सर्वेक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्यवाही करेंगी.

III. यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों का समुचित रूप से क्रियान्वयन, किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के बारे में जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देगी.

IV. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेंगी.

V. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसायटी के कृत्यों का समन्वय करेगी.

VI. उन अपराधों की संख्या पर नजर रखेगी जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है.

VII. यह सर्वेक्षण करेगी कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था.

VIII. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना, जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है.

IX. सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किए गए बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किये गये बंधित श्रमिक, का ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जाएगा.

3. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 3 (1) के अनुसार अधिनियम के धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड ख, ग, घ एवं ङ अंतर्गत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 2 वर्ष का रहेगा और उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् उत्तराधिकारी के नामित होने तक पद पर बने रहेंगे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-10-2012 के अनुसार समिति का पुनर्गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जावेगा.

4. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 7 के अनुसार अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार अभिलेख संधारित किया जायेगा.

I. विमुक्त बंधक श्रमिकों के नाम एवं पता संबंधित पंजी,

II. विमुक्त बंधक श्रमिकों के पेशा, व्यवसाय एवं आय से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े से संबंधित पंजी.

III. विमुक्त बंधक श्रमिकों को प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित पंजी, जिसमें आर्थिक सहायता, कृषि के लिए उपकरण प्रदाय, हस्तशिल्प या सहायक व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण, ऋण प्रदाय की जानकारी तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदाय संबंधी जानकारी सम्मिलित है,

IV. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (6), धारा 8 की उपधारा (2), धारा 9 की उपधारा (2), धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20 के अंतर्गत प्रकरणों का विस्तृत विवरण दर्शाने वाली पंजी.

5. प्रत्येक सतर्कता समिति अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी.

धमतरी, दिनांक 19 मार्च 2013

क्रमांक 05/बंधक श्रम/2012.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 3 के अनुसार राजस्व अनुविभाग धमतरी, जिला धमतरी के लिए निम्नानुसार अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम/पदनाम (2)	समिति में पद (3)
1.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति	अध्यक्ष

(1)	(2)	(3)
2.	**अनुविभाग में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य**	
	1. श्रीमती मानबाई भारती, ग्रा. छाती जिला धमतरी	सदस्य
	2. श्री मनराखन ठाकुर, ग्रा. सिवनीखुर्द जिला धमतरी	सदस्य
	3. श्री दुर्जन सिंह ठाकुर, ग्रा. बरारी जिला धमतरी	सदस्य
3.	**अनुविभाग में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता**	
	1. श्रीमति सरिता दोषी, सामाजिक कार्यकर्ता धमतरी जिला धमतरी	सदस्य
	2. श्री शीतल सांकला, सामाजिक कार्यकर्ता धमतरी जिला धमतरी	सदस्य
4.	**अनुविभाग में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि**	
	1. श्री सिद्धार्थ कुर्रे, मु.का.अ. जनपद पंचायत धमतरी जिला धमतरी	सदस्य
	2. श्री एल. एल. साहू, अनु. अधि. कृषि धमतरी जिला धमतरी	सदस्य
	3. श्री एंथोनी तिर्की, अनु.वि.अधि. ग्रा. यां. से. धमतरी जिला धमतरी	सदस्य
5.	**अनुविभाग में स्थित वित्तीय और ऋण संस्थाओं का प्रतिनिधि**	
	1. श्री प्रियदत्ता पाणीग्रही, शाखा प्रमुख एक्सिस बैंक धमतरी	सदस्य
6.	**अधिनियम की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट एवं अनुविभाग में कार्यरत अधिकारी**	
	1. तहसीलदार, धमतरी जिला धमतरी	सदस्य/सचिव

2. उक्त समिति अधिनियम की धारा 14 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक (सिविल) 3922/1985, पब्लिक यूनियन फार सिविल लिबर्टीस विरुद्ध तमिलनाडू राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-10-2012 के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्य करेगी :-

I. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक 03 वर्ष में एक बार कराया जाकर सर्वेक्षण के परिणाम का डाटाबेस एवं पुनरीक्षित प्रतिवेदन वेबसाईट में उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया जावेगा.

II. ईट भट्ठों, पत्थर खदान, पत्थर तोड़ने की खान, बीड़ी निर्माण, कारपेट बनाना, निर्माण उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी असंगठित एवं अनौपचारिक सेक्टर, पावरलुम, काटन हैण्डलुम आदि क्षेत्रों में बंधक श्रमिकों की व्याप्तता के दृष्टिगत समिति सर्वेक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्यवाही करेंगी.

III. यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों को समुचित रूप से क्रियान्वयन, किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के बारे में जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देगी.

IV. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेगी.

V. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसायटी के कृत्यों का समन्वय करेगी.

VI. उन अपराधों की संख्या पर नजर रखेगी जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है.

VII. यह सर्वेक्षण करेगी कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था.

VIII. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना, जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है.

IX. सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किए गए बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किये गये बंधित श्रमिक का, ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जाएगा.

3. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 3 (1) के अनुसार अधिनियम के धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड ख, ग, घ एवं ङ अंतर्गत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 2 वर्ष का रहेगा और उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् उत्तराधिकारी के नामित होने तक पद पर बने रहेंगे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-10-2012 के अनुसार समिति का पुनर्गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जावेगा.

4. प्रत्येक सतर्कता समिति अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी.

धमतरी, दिनांक 19 मार्च 2013

क्रमांक 06/बंधक श्रम/2012.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 3 के अनुसार राजस्व अनुविभाग नगरी जिला धमतरी के लिए निम्नानुसार अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम/पदनाम (2)	समिति में पद (3)
1.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति	अध्यक्ष
2.	**अनुविभाग में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य**	
	1. श्री सोमसिंग मंडावी, ग्रा. गुहाननाला, नगरी जिला धमतरी	सदस्य
	2. श्री मायाराम नागवंशी, ग्रा. दुगली, नगरी जिला धमतरी	सदस्य
	3. श्री होरालाल कोसरे, ग्रा. नगरी जिला धमतरी	सदस्य
3.	**अनुविभाग में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता**	
	1. श्री कैलाश प्रजापति, ग्रा. बेलरगांव जिला धमतरी	सदस्य
	2. श्री कांशीराम साहू, ग्रा. छिपली जिला धमतरी	सदस्य
4.	**अनुविभाग में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि**	
	1. श्री के. एल. मार्गो, मु.का.अ. जनपद पंचायत नगरी, जिला धमतरी	सदस्य
	2. श्री जे. आर. रजक, अनु. अधि. ग्रा. यां. से. नगरी, जिला धमतरी	सदस्य
	3. श्री श्याम देवांगन, उपयंत्री जनपद पंचायत नगरी, जिला धमतरी	सदस्य
5.	**अनुविभाग में स्थित वित्तीय और ऋण संस्थाओं का प्रतिनिधि**	
	1. श्री बी. पी. एस. राजपूत, प्रभारी प्रबंधक, भा. स्टे. बैंक नगरी, जिला धमतरी	सदस्य
6.	**अधिनियम की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट एवं अनुविभाग में कार्यरत अधिकारी**	
	1. तहसीलदार, नगरी जिला धमतरी	सदस्य/सचिव

2. उक्त समिति अधिनियम की धारा 14 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक (सिविल) 3922/1985, पब्लिक यूनियन फार सिविल लिबर्टीस विरुद्ध तमिलनाडू राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-10-2012 के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्य करेगी :—

I. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक 03 वर्ष में एक बार कराया जाकर सर्वेक्षण के परिणाम का डाटाबेस एवं पुनरीक्षित प्रतिवेदन वेबसाईट में उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया जावेगा.

II. ईंट भट्ठों, पत्थर खदान, पत्थर तोड़ने की खान, बीड़ी निर्माण, कारपेट बनाना, निर्माण उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी असंगठित एवं अनौपचारिक सेक्टर, पावरलुम, काटन हैण्डलुम आदि क्षेत्रों में बंधक श्रमिकों की व्याप्तता के दृष्टिगत समिति सर्वेक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्यवाही करेगी.

III. यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों का समुचित रूप से क्रियान्वयन, किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के बारे में जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देगी.

IV. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेगी.

V. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसायटी के कृत्यों का समन्वय करेगी.

VI. उन अपराधों की संख्या पर नजर रखेगी जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है.

VII. यह सर्वेक्षण करेगी कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था.

VIII. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना, जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है.

IX. सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किए गए बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किये गये बंधित श्रमिक का, ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जाएगा.

3. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 3 (1) के अनुसार अधिनियम के धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड ख, ग, घ एवं ङ अंतर्गत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 2 वर्ष का रहेगा और उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् उत्तराधिकारी के नामित होने तक पद पर बने रहेंगे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-10-2012 के अनुसार समिति का पुनर्गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जावेगा.

4. प्रत्येक सतर्कता समिति अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी.

धमतरी, दिनांक 19 मार्च 2013

क्रमांक 07/बंधक श्रम/2012.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 3 के अनुसार राजस्व अनुविभाग कुरूद जिला धमतरी के लिए निम्नानुसार अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम/पदनाम (2)	समिति में पद (3)
1.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति	अध्यक्ष
2.	**अनुविभाग में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य**	
	1. श्री जागेश्वर ध्रुव, ग्राम सिर्री जिला धमतरी	सदस्य
	2. श्री मधु दीवान, ग्रा. जोरातराई जिला धमतरी	सदस्य
	3. श्री हरिशंकर सोनवानी, ग्रा. भालूकोना (गोबरा) जिला धमतरी	सदस्य
3.	**अनुविभाग में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता**	
	1. श्री भानु चंद्राकर, कुरूद जिला धमतरी	सदस्य
	2. श्री सुरेश अग्रवाल, कुरूद जिला धमतरी	सदस्य
4.	**अनुविभाग में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि**	
	1. श्री आर. के. भारद्वाज, मु.का.अ. कुरूद जिला धमतरी	सदस्य
	2. श्री बी. पी. नायक, मु.का.अ. मगरलोड जिला धमतरी	सदस्य
	3. श्री वाय. के. शुक्ला, अनु. अधि. ग्रा. यां. से. कुरूद जिला धमतरी	सदस्य
5.	**अनुविभाग में स्थित वित्तीय और ऋण संस्थाओं का प्रतिनिधि**	
	1. श्री एच. पी. चंद्राकर, अति. प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक कुरूद जिला धमतरी	सदस्य
6.	**अधिनियम की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट एवं अनुविभाग में कार्यरत अधिकारी**	
	1. तहसीलदार, कुरूद जिला धमतरी	सदस्य/सचिव

2. उक्त समिति अधिनियम की धारा 14 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक (सिविल) 3922/1985, पब्लिक यूनियन फार सिविल लिबर्टीस विरुद्ध तमिलनाडू राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-10-2012 के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्य करेगी :—

I. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक 03 वर्ष में एक बार कराया जाकर सर्वेक्षण के परिणाम का डाटाबेस एवं पुनरीक्षित प्रतिवेदन वेबसाईट में उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया जावेगा.

II. ईट भट्ठों, पत्थर खदान, पत्थर तोड़ने की खान, बीड़ी निर्माण, कारपेट बनाना, निर्माण उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी असंगठित एवं अनौपचारिक सेक्टर, पावरलुम, काटन हैण्डलुम आदि क्षेत्रों में बंधक श्रमिकों की व्याप्तता के दृष्टिगत समिति सर्वेक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्यवाही करेगी.

III. यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों का समुचित रूप से क्रियान्वयन, किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के बारे में ज़िला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देगी.

IV. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेगी.

V. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसायटी के कृत्यों का समन्वय करेगी.

VI. उन अपराधों की संख्या पर नजर रखेगी जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है.

VII. यह सर्वेक्षण करेगी कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था.

VIII. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना, जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है.

IX. सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किए गए बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किये गये बंधित श्रमिक का, ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जाएगा.

3. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 3 (1) के अनुसार अधिनियम के धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड ख, ग, घ एवं ङ अंतर्गत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 2 वर्ष का रहेगा और उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् उत्तराधिकारी के नामित होने तक पद पर बने रहेंगे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-10-2012 के अनुसार समिति का पुनर्गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जावेगा.

4. प्रत्येक सतर्कता समिति अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी.

एन. एस. मण्डावी
कलेक्टर.

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2013

क्रमांक 27.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के समस्त श्रम कल्याण निरीक्षक, नगरीय निकायों के नगर पालिका अधिकारी एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भवन एवं सन्निर्माण कर्मकारों के लिये पंजीयन अधिकारी नियुक्त करता है."

रायपुर, दिनांक 1 जून 2013

क्रमांक 29.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के अधिसूचना क्रमांक 12, रायपुर दिनांक 27-11-2012 में पंजीकृत हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना एवं सिलाई मशीन सहायता योजना में निम्नानुसार संशोधन अंत:स्थापित करती है :—

मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना—

(ब) **योजना हेतु पात्रता—**

(ii) पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु समूह की हो.

मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना—

(ब) **योजना हेतु पात्रता—**

(ii) पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक की आयु 35 वर्ष से 60 वर्ष आयु समूह की हो.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2013

क्रमांक 30.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के अधिसूचना क्रमांक 14, रायपुर दिनांक 27-11-2012 विश्वकर्मा मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना में निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंत:स्थापित करती है—

विश्वकर्मा मृत्यु पर अंत्येष्ठित एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना

(अ) **योजना के प्रावधान—**

(viii) अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर रुपये 50,000/- तथा दुर्घटना से स्थाई अपंगता की स्थिति में रुपये 37,500/- की राशि स्वीकृत की जावेगी.

यह अधिसूचना दिनांक 04-03-2010 से भूतलक्षीय प्रभाव से लागू होगी.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2013

क्रमांक 31.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा राज्य शासन के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-16/2011/16, रायपुर, दिनांक 06-01-2012 मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना में निम्नानुसार अंत:स्थापित करती है—

मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना—

(अ) **योजना के प्रावधान—**

(ii) प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम के समक्ष उल्लेखित "पुरस्कार सहायता राशि" एक मुश्त देय होगा.

07	छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की प्रदेश स्तरीय परीक्षा में मेरिट के टॉप टेन में आने वाले छात्र एवं छात्राओं हेतु.	रुपये 1,00,000/-
08	शासकीय आईटीआई, आईआईटी, इंजीनियरिंग, मेडीकल, लॉ, डेन्टल एवं नर्सिंग कालेज में प्रवेश लेने वाले छात्र एवं छात्राओं हेतु	प्रत्येक शिक्षा सत्र की समस्त शैक्षणिक फीस मंडल द्वारा देय होगा.

उपरोक्त अधिसूचना भूतलक्षीय प्रभाव से दिनांक 01-04-2013 से प्रभावशील होगा.

सविता मिश्रा,
सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/23/बंधक/श्रम/2013.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की धारा 13 की उपधारा 2 के अनुसार जिला-राजनांदगांव के लिए निम्नानुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र.	नाम व पदनाम	समिति में पद
1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	(1) श्री संजीव शाह — अनुसूचित जनजाति	सदस्य
	(2) श्री रमेश नामे — अनुसूचित जनजाति	सदस्य
	(3) श्री चैनदास बाधव — अनुसूचित जाति	सदस्य
3.	(1) श्रीमति वर्षा अग्रवाल — राजनांदगांव	सदस्य
	(2) डॉ. पुखराज बाफना — राजनांदगांव	सदस्य
4.	(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव	सदस्य
	(2) सहायक आयुक्त, आदिमजाति कल्याण विभाग, राजनांदगांव	सदस्य
	(3) श्रम पदाधिकारी, राजनांदगांव	सदस्य
5.	(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी, राजनांदगांव	सदस्य

अशोक कुमार अग्रवाल,
कलेक्टर.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड

बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2013

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2013-14/63.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7574 रायपुर, दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री अमृतलाल ध्रुव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर को कृषि उपज मण्डी समिति सूरजपुर जिला-सूरजपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर सूरजपुर के पत्र क्रमांक 5276 दिनांक 01-04-2013 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, सूरजपुर में श्री जे. आर. भगत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री अमृतलाल ध्रुव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थानांतरण जिला-कोरिया हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री जे. आर. भगत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति सूरजपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2013-14/839.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7717 रायपुर, दिनांक 21-02-2011 द्वारा श्री ए. एस. सिसोदिया अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कृषि उपज मंडी समिति बलौदाबाजार का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के पत्र क्रमांक 271 दिनांक 28-04-2013 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बलौदाबाजार में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु श्री सौमिल रंजन चौबे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री ए. एस. सिसोदिया अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कृषि उपज मंडी समिति बलौदाबाजार के भारसाधक अधिकारी हेतु जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7717, दिनांक 21-02-2011 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री सौमिल रंजन चौबे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति बलौदाबाजार का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2013

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2013-14/1345.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7574-75 रायपुर, दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री एस. एन. मोटवानी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुन्द को कृषि उपज मण्डी समिति महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर महासमुन्द जिला महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक 1691 दिनांक 04-05-2013 कृषि उपज मंडी समिति महासमुन्द में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु श्री जे. आर. चौरसिया अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एस. एन. मोटवानी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुन्द का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री जे. आर. चौरसिया अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2013

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2013-14/1347.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/6098 रायपुर, दिनांक 16-01-2012 द्वारा श्री विजय कुमार धुर्वे (आई.ए.एस.) अपर कलेक्टर जगदलपुर को कृषि उपज मण्डी समिति जगदलपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर बस्तर जिला जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक 01 दिनांक 10-05-2013 कृषि उपज मंडी समिति जगदलपुर में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु श्री आर. एस. ठाकुर अपर कलेक्टर (संविदा) का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री विजय कुमार धुर्वे (आई.ए.एस.) अपर कलेक्टर जगदलपुर का पदोन्नति होने के कारण उनके स्थान पर श्री आर. एस. ठाकुर अपर कलेक्टर (संविदा) को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति जगदलपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2013

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2013-14/1613.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/6100 रायपुर, दिनांक 16-01-2012 द्वारा श्री वहीदुर्रहमान शाह तहसीलदार जैजेपुर को कृषि उपज मण्डी समिति जैजेपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जांजगीर-चांपा, जिला जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 6478 दिनांक 04-05-2013 कृषि उपज मंडी समिति जैजेपुर में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु श्री सुधीर सोम, तहसीलदार का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री वहीदुर्रहमान शाह तहसीलदार जैजेपुर का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री सुधीर सोम, तहसीलदार को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति जैजेपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2013

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2013-14/1615.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/8060 रायपुर, दिनांक 21-02-2013 द्वारा श्री एन. के. साहू, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी मालखरौदा को कृषि उपज मण्डी समिति आमनदुला का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जांजगीर-चांपा, जिला जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 6326 दिनांक 02-05-2013 कृषि उपज मंडी समिति आमनदुला में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु श्री लालमन साय पैकरा, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी मालखरौदा का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एन. के. साहू, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी मालखरौदा के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री लालमन साय पैकरा, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी मालखरौदा को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति आमनदुला का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

ए. एन. मिश्रा,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 26 जून 2013

क्रमांक 1479/ख.लि./तीन-1/खुला क्षेत्र/2013.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम (12) के तहत् जिला रायपुर स्थित निम्नानुसार सूची में दर्शाये गये क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् आवेदन हेतु उपलब्ध होगा. प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार जांच उपरान्त आवेदित क्षेत्र में उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	तहसील	खसरा नं.	रकबा	भूमि प्रकार	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	दुलना	59/14	अभनपुर	686	0.54 एकड़	निजी भूमि	श्री हरी मोहन साहू आ. श्री कार्तिक राम साहू निवासी-दुलना के नाम पर स्वयं की निजी भूमि खसरा नं. 686 का भाग 0.54 एकड़ क्षेत्र पर दिनांक 21-04-2006 से 20-04-2011 तक चूनापत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत था अवधि समाप्त होने के कारण खुला क्षेत्र घोषित हेतु.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	दुलना	59/14	अभनपुर	676	0.46 एकड़	निजी भूमि	श्री श्रीयांश जैन आ. स्व. श्री वृंदावन लाल जैन, निवासी-नवापारा के नाम पर स्वयं की निजी भूमि खसरा नं.-676 का भाग 0.46 एकड़ क्षेत्र पर दिनांक 12-11-2007 से 11-11-2012 तक चूनापत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत था अवधि समाप्त होने के कारण खुला क्षेत्र घोषित हेतु.
3.	दुलना	59/14	अभनपुर	675	0.42 एकड़	निजी भूमि	श्री रमशे चंद चौधरी आ. श्री ताराचंद चौधरी निवासी-नवापारा तहसील अभनपुर के नाम पर स्वयं की निजी भूमि खसरा नं. 675 का भाग 0.42 एकड़ क्षेत्र पर दिनांक 17-10-2007 से 16-10-2012 तक चूनापत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत था अवधि समाप्त होने के कारण खुला क्षेत्र घोषित हेतु.
4.	मूरा	32	तिल्दा	604/1	0.323 हेक्टेयर	निजी भूमि	श्री विजय अग्रवाल आ. स्व. श्री शंकर लाल अग्रवाल निवासी-मोवा रायपुर तहसील रायपुर के नाम पर स्वयं की निजी भूमि खसरा नं. 604/1 का भाग 0.323 हेक्टर क्षेत्र पर दिनांक 22-03-2008 से 21-03-2013 तक चूनापत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत था अवधि समाप्त होने के कारण खुला क्षेत्र घोषित हेतु.
5.	मूरा	32	तिल्दा	595, 596, 597	0.419 हेक्टेयर	निजी भूमि	श्री महेन्द्र वर्मा को खसरा नं. 595, 596, 597 में रकबा 0.419 हेक्टर क्षेत्र पर दिनांक 01-10-2003 से 10-05-2007 निरस्त अवधि तक चूनापत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत था. वर्तमान में उक्त क्षेत्र रिक्त है.
6.	मूरा	32	तिल्दा	610	0.809 हेक्टेयर	निजी भूमि	मो. सलीम खान आ. श्री मुरतुजा खान निवासी-राजातालाब रायपुर के नाम पर स्वयं की निजी भूमि खसरा नं. 610 का भाग 0.809 हेक्टर क्षेत्र पर दिनांक 02-01-2008 से 01-01-2013 तक चूनापत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत था अवधि समाप्त होने के कारण खुला क्षेत्र घोषित हेतु.

महिपाल सिंह कंवर,
उप संचालक (खनि. प्रशा.)
वास्ते-कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 1st April 2013

No. 2295.—In exercise of powers conferred by sub rule (2) of rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 (as amended time to time) and in view of the directions of Hon'ble the Supreme Court, in its order dated 04-01-07 passed in C. A. 1867/06 (Malik Mazhar Sultan and another V/s U. P. Public Service Commission & ors.), The High Court of Chhattisgarh notifies the anticipated vacancies in respect of Senior Civil Judge as under :—

I.

(a)	Promotion in accordance with sub rule 2 of Rule 5	21 Posts

Bilaspur, the 17th April 2013

No. 260/Confdl./2013/II-2-1/2013.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted on the post of Special Judge of the Special Court established by the State Government under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is also appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Makardhwaj Jagdalla, Additional District & Sessions Judge.	Sanjari-Balod	Raipur	Raipur	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.

Bilaspur, the 17th April 2013

No. 262/Confdl./2013/II-2-1/2013.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date he assume charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assume charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Ganpat Rao, Special Judge under SC/ST (P.A.) Act.	Raipur	Jashpur	Jashpur	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 17th April 2013

No. 264/Confdl./2013/II-2-90/2001 (Pt. III).—Shri Kanwar Lal Charyani, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Additional Secretary, Government of C.G., Law & Legislative Affairs Department, Raipur is transferred and appointed as Additional Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur in the Establishment of the High Court from the date he assume charge of his office.

Bilaspur, the 17th April 2013

No. 266/Confdl./2013/II-2-1/2013.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Deepak Kumar Tiwari, Additional Director, C. G. State Judicial Academy.	Bilaspur	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	I Additional District & Sessions Judge, Manendragarh at Baikunthpur.
2.	Shri Govind Narayan Jangde, V Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Pendra-Road	Bilaspur	Additional District & Sessions Judge.
3.	Shri Sevak Ram Banjare, I Additional District & Sessions Judge, Manendragarh at Baikunthpur.	Baikunthpur	Kondagaon	Bastar (Jagdalpur)	Additional District & Sessions Judge.

बिलासपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2013

क्रमांक 3042/दो-15-19/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य शासन के अनुरोध पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित परिवीक्षाधीन सहायक कलेक्टरों को सारणी के स्तम्भ (3) में प्रत्येक के सामने दर्शाये गये राजस्व जिले में यह आदेश उन्हें प्राप्त होने के दिनांक से पंद्रह दिनों के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 10 (धारा 181 को छोड़कर), तेरह (धारा 281 और 295-क को छोड़कर) 15 एवं 19 तथा धाराएं 143, 151, 153, 154 से 160, 171, 323, 324, 337, 342, 357, 358, 374, 379, 403, 411, 414, 417, 426, 427, 428, 434, 448, 486, 489, 489-ई, 504, 508, 509 एवं 510 के अधीन दण्डनीय अपराधों, जो एक वर्ष के कारावास से अधिक दण्ड से दण्डनीय न हो, से संबंधित ऐसे मामलों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की शक्तियों से वेष्ठित करता है जो संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा विचारण हेतु उन्हें सौंपे जावे.

सारणी

अनुक्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	जिले का नाम एवं अधिकृत स्थानीय क्षेत्र (3)
1.	श्री भूरे सरवेश्वर नरेन्द	बस्तर स्थान जगदलपुर
2.	श्री चंदन कुमार	बिलासपुर
3.	श्री दीपक सोनी	रायगढ़
4.	श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर	राजनांदगांव
5.	श्री संजीव कुमार झा	रायपुर
6.	श्री भोरकर विलस सन्दीपन	सरगुजा स्थान अम्बिकापुर

Bilaspur, the 25th April 2013

No. 3042/II-15-19/2000.—In exercise of the powers Conferred by Section 13 (1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and on the request of the Government of Chhattisgarh the High Court of Chhattisgarh here-by Conferred the powers of Judicial Magistrate of Second Class upon the Probationary Assistant Collector name mentioned in column (2) of the table below to exercise jurisdiction in the local areas specified against their repective names in column (3) of the table below for a period of 15th days from the date of communication of this order to them in relation to such cases and such offences as may be assigned to them by the Chief Judicial Magistrate of the respective areas under chapters 10 (Except Section 181), 13 (Except Sections 281, 295-A) 15 and 19 and Sections 143, 151, 153, 154 to 160, 171, 323, 324, 337, 342, 357, 358, 374, 379, 403, 411, 414, 417, 426, 427, 428, 434, 448, 486, 489, 489-E, 504, 508, 509 and 510 of the Indian Penal Code, provided that the offences are not punishable with imprisonment for more than one year.

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Officers (2)	Name of District and Name of Local area of Jurisdiction (3)
1.	Shri Bhure Sarveshwar Narendra	Bastar at Jagdalpur
2.	Shri Chandan Kumar	Bilaspur
3.	Shri Deepak Soni	Raigarh
4.	Shri Neelesh Kumar Mahadev Kshirsagar	Rajnandgaon
5.	Shri Sanjeev Kumar Jha	Raipur
6.	Shri Bhaskar Vilas Sandipan	Surguja at Ambikapur

Bilaspur, the 4th May 2013

No. 293/Confdl./2013/II-1-1/2009.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13016/01/2013-US. II dated 26th April, 2013 of Government of India, Ministry of Law & Justice, (Department of Justice), New Delhi, (1) Hon'ble Shri Justice Ghulam Minhajuddin and (2) Hon'ble Shri Justice Radhe Shyam Snarma have assumed charge of the office of Additional Judge of the High Court of Chhattisgarh in the forenoon of 03rd May, 2013.

Bilaspur, the 9th May 2013

No. 302/Confdl./2013/II-3-2/2002.—In Registry Order No. 597/Confdl./2012/II-3-2/2002 dt. 05-09-2012, the entry in Sl. No. 24 in the list and in Endt. No. 598/Confdl./2012/II-3-2/2002 at Sl. No. 16 (ii) be read as "Shri Ajay Kumar Xaxa" in place of "Shri Ajay Kuma Xaxa".

बिलासपुर, दिनांक 9 मई 2013

क्रमांक 3618/दो-15-2/2012.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिले के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 3526/21-ब/13 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 द्वारा गठित तथा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश के फास्ट ट्रेक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए) दिनांक 17-06-2013 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

क्र.	सिविल जिले के नाम	अपर जिला न्यायाधीश के फास्ट ट्रेक कोर्ट		स्थानीय क्षेत्र/सत्र खण्ड/सिविल जिला
		बैठने का स्थान	फास्ट ट्रेक न्यायालयों की संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	जगदलपुर	1	बस्तर (जगदलपुर)
2.	बिलासपुर	बिलासपुर	1	बिलासपुर
3.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	1	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
4.	धमतरी	धमतरी	1	धमतरी
5.	दुर्ग	दुर्ग	1	दुर्ग
6.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर	1	जांजगीर-चांपा
7.	जशपुर	जशपुर	1	जशपुर
8.	कबीरधाम (कवर्धा)	कवर्धा	1	कबीरधाम (कवर्धा)
9.	कोरबा	कोरबा	1	कोरबा
10.	कोरिया (बैकुंठपुर)	बैकुंठपुर	1	कोरिया (बैकुंठपुर)
11.	महासमुंद	महासमुंद	1	महासमुंद
12.	रायगढ़	रायगढ़	1	रायगढ़
13.	रायपुर	रायपुर	1	रायपुर
14.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	1	राजनांदगांव
15.	सरगुजा (अंबिकापुर)	अम्बिकापुर	1	सरगुजा (अंबिकापुर)
16.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	कांकेर	1	उत्तर बस्तर (कांकेर)

Bilaspur, the 9th May 2013

No. 3618/II-15-2/2012.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court hereby directs that the Fast Track Court of Additional District Judges (for Trial of Cases regarding Crime against Woman) as constituted and established by the Law Department Notification No. 3526/21-B/13 dated 30-04-2013 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect from the date 17-06-2013 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

Sl. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Local Area/Sessions Division/ Civil District
		Place of sitting	No. of Courts	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bastar (Jagdalpur)	Jagdalpur	1	Bastar (Jagdalpur)
2.	Bilaspur	Bilaspur	1	Bilaspur
3.	Dakshin Bastar Dantewara	Dantewara	1	Dakshin Bastar Dantewara
4.	Dhamtari	Dhamtari	1	Dhamtari
5.	Durg	Durg	1	Durg
6.	Janjgir-Champa	Janjgir	1	Janjgir-Champa
7.	Jashpur	Jashpur	1	Jashpur
8.	Kabeerdham (Kawardha)	Kawardha	1	Kabeerdham (Kawardha)
9.	Korba	Korba	1	Korba
10.	Koriya (Baikunthpur)	Baikunthpur	1	Koriya (Baikunthpur)
11.	Mahasamund	Mahasamund	1	Mahasamund
12.	Raigarh	Raigarh	1	Raigarh
13.	Raipur	Raipur	1	Raipur
14.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	1	Rajnandgaon
15.	Surguja (Ambikapur)	Ambikapur	1	Surguja (Ambikapur)
16.	Uttar Bastar (Kanker)	Kanker	1	Uttar Bastar (Kanker)

Bilaspur, the 10th May 2013

No. 311/Confdl./2013/II-2-4/2002.—The period of officiation or probation, as the case may be, of the following officiating/probationary District Judges of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, is hereby, extended for a further period of two years :—

TABLE

S. No.	Name of Judicial Officer	Date of Appointment
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Arvind Kumar Sinha	31-03-2011
2.	Shri Blacious Toppo	18-04-2011
3.	Smt. Neeta Yadav	08-04-2011
4.	Shri Sirajuddin Qureshi	08-04-2011
5.	Smt. Anita Dahariya	21-04-2011
6.	Shri Anestus Toppo	19-04-2011
7.	Shri Abdul Zahid Qureshi	11-04-2011
8.	Smt. Pragya Pachouri	08-04-2011
9.	Shri Manish Kumar Naidu	08-04-2011
10.	Shri Alok Kumar	11-04-2011
11.	Shri Yogesh Pareek	11-04-2011
12.	Shri Uttara Kumar Kashyap	11-04-2011
13.	Shri Govind Narayan Jangde	11-04-2011
14.	Shri Brijendra Kumar Shastri	11-04-2011

Bilaspur, the 13th June 2013

No. 329/Confdl./2013/II-2-90/2001 (Pt. III).—Shri Arvind Singh Chandel, Member of Higher Judicial Service and presently posted as District & Sessions Judge, Kabirdham (Kawardha) is transferred and appointed as Registrar (Vigilance) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 13th June 2013

No. 331/Confdl./2013/II-2-1/2013.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their office and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judges of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Gautam Chouradia, Registrar (Vigilance), High Court of C.G.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	District & Sessions Judge.
2.	Shri Jerom Kujur, Addl. District & Sessions Judge.	Gariaband	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 13th June 2013

No. 333/Confdl./2013/II-2-1/2013.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Bhishma Prasad Pandey, V Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Gariaband	Raipur	Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 13th June 2013

No. 4114.—In exercise of powers conferred by sub rule (1) of rule 5 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 (as amended from time to time) and in view of the directions of Hon'ble the Supreme Court, in its order dated 04-01-07 passed in C. A. 1867/06 (Malik Mazhar Sultan and another V/s U. P. Public Service Commission & ors.), The High Court of Chhattisgarh notifies the anticipated vacancies in respect of District Judge (Entry Level) as under :—

I.

(a)	By Promotion in accordance with Rule 5(1) (a)	25 posts
(b)	By Promotion through limited competitive examination in accordance with Rule 5 (1) (b)	04 posts
(c)	By direct recruitment from the Bar in accordance with Rule 5(1) (c).	10 posts

Bilaspur, the 18th June 2013

No. 4212.—In exercise of powers conferred by sub rule (2) of rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 (as amended time to time) and in view of the directions of Hon'ble the Supreme Court, in its order dated 04-01-07 passed in C. A. 1867/06 (Malik Mazhar Sultan and another V/s U. P. Public Service Commission & ors.), The High Court of Chhattisgarh notifies the anticipated vacancies in respect of Senior Civil Judge as under :—

I.

(a)	Promotion in accordance with sub rule 2 of Rule 5	39 Posts

बिलासपुर, दिनांक 17 जून 2013

क्रमांक 102/दो-2-11/2005.—श्री तपन कुमार चक्रवर्ती, रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन एण्ड इंक्वायरी), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर दिनांक 20-02-2013 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जून 2013

क्रमांक 4328/दो-15-2/2012.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ अपनी पूर्व की अधिसूचना क्रमांक 3618/दो-15-2/13 दिनांक

09 मई, 2013 के कॉलम नंबर-5 (स्थानीय क्षेत्र/सत्र खण्ड/सिविल जिला) में दर्शित सीमा-क्षेत्र को निम्नानुसार स्पष्ट करता है :—

"महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए स्थापित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के फास्ट ट्रेक कोर्ट्स के सीमा-क्षेत्र को सीमित करते हुए, उनका सीमा-क्षेत्र जिला मुख्यालय के अन्तर्गत आने वाला सीमा-क्षेत्र होगा तथा बाह्य न्यायालयों के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरणों की सुनवाई बाह्य न्यायालयों में पदस्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों द्वारा की जावेगी."

Bilaspur, the 21st June 2013

No. 4328/II-15-2/2012.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court hereby clarify the Jurisdiction (Local Area/ Sessions Division/Civil District) mentioned in the coloun No. 5 of in its previous Notification No. 3618/II-15-2/2012 dated 09-05-2013 as follows :—

"the Jurisdiction of Fast Track Courts of Additional District Judges established for trial of cases relating to Crime against Women shall be limited to the area falling under the jurisdiction of district headquarters and the cases arising out of the area falling under the jurisdiction of the outlying stations shall be tried by the Additional District & Session Judges posted in the outlying stations."

बिलासपुर, दिनांक 25 जून 2013

क्रमांक 4393/दो-15-19/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य शासन के अनुरोध पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित परिवीक्षाधीन सहायक कलेक्टरों को सारणी के स्तम्भ (3) में प्रत्येक के सामने दर्शाये गये राजस्व जिले में यह आदेश उन्हें प्राप्त होने के दिनांक से पंद्रह दिनों के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 10 (धारा 181 को छोड़कर), तेरह (धारा 281 और 295-क को छोड़कर) 15 एवं 19 तथा धाराएं 143, 151, 153, 154 से 160, 171, 323, 324, 337, 342, 357, 358, 374, 379, 403, 411, 414, 417, 426, 427, 428, 434, 448, 486, 489, 489-ई, 504, 508, 509 एवं 510 के अधीन दण्डनीय अपराधों, जो एक वर्ष के कारावास से अधिक दण्ड से दण्डनीय न हो, से संबंधित ऐसे मामलों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की शक्तियों से वेष्ठित करता है जो संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा विचारण हेतु उन्हें सौंपे जावे.

सारणी

अनुक्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	जिले का नाम एवं अधिकृत स्थानीय क्षेत्र (3)
1.	श्री अभिजीत सिंह, सहायक कलेक्टर, सरगुजा (अंबिकापुर)	सरगुजा (अंबिकापुर)
2.	श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, सहायक कलेक्टर, कोरबा	कोरबा
3.	श्री रजत बंसल, सहायक कलेक्टर, रायगढ़	रायगढ़
4.	श्री रणबीर शर्मा, सहायक कलेक्टर, बिलासपुर	बिलासपुर
5.	श्री रितेश कुमार अग्रवाल, सहायक कलेक्टर, बस्तर (जगदलपुर)	बस्तर (जगदलपुर)
6.	श्री शिव अनंत तयाल, सहायक कलेक्टर, दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा
7.	सुश्री स्वाति श्रीवास्तव, सहायक कलेक्टर, राजनांदगांव	राजनांदगांव

Bilaspur, the 25th June 2013

No. 4393/II-15-19/2000.—In exercise of the powers Conferred by Section 13 (1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and on the request of the Government of Chhattisgarh the High Court of Chhattisgarh here-by Conferred the powers of Judicial Magistrate of Second Class upon the Probationary Assistant Collector name

mentioned in column (2) of the table below to exercise jurisdiction in the local areas specified against their respective names in column (3) of the table below for a period of 15th days from the date of communication of this order to them in relation to such cases and such offences as may be assigned to them by the Chief Judicial Magistrate of the respective areas under chapters 10 (Except Section 181), 13 (Except Sections 281, 295-A) 15 and 19 and Sections 143, 151, 153, 154 to 160, 171, 323, 324, 337, 342, 357, 358, 374, 379, 403, 411, 414, 417, 426, 427, 428, 434, 448, 486, 489, 489-E, 504, 508, 509 and 510 of the Indian Penal Code, provided that the offences are not punishable with imprisonment for more than one year.

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Officers (2)	Name of District and Name of Local area of Jurisdiction (3)
1.	Shri Abhijit Singh, Asstt. Collector, Surguja, (Ambikapur)	Surguja (Ambikapur)
2.	Shri Pushpendra Kumar Meena, Assistant Collector, Korba	Korba
3.	Shri Rajat Bansal, Assistant Collector, Raigarh	Raigarh
4.	Shri Ranbir Sharma, Asstt. Collector, Bilaspur	Bilaspur
5.	Shri Ritesh Kumar Agrawal, Assistant Collector, Bastar (Jagdalpur).	Bastar (Jagdalpur)
6.	Shri Shiv Anant Tayal, Assistant Collector, Dantewara	Dantewara
7.	Ms. Swati Shrivastava, Assistant Collector, Rajnandgaon	Rajnandgaon

By order of the Hon'ble High Court,
ASHOK KUMAR PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 3rd April 2013

No. 2354/CSJA/3rd Part Ind./2012 Batch/13.—The following newly appointed Civil Judges Class-II as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report in the Chhattisgarh State Judicial Academy, High court of Chhattisgarh, Bilaspur on 07-04-2013 by 4.00 P.M. for undergoing the 3rd Part of Institutional Training Programme scheduled to be held from 08th April, 2013 to 17th April, 2013.

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Amit Jindal	I Civil Judge Class-II, Jagdalpur
2.	Ku. Parul Shrivastava	VIII Civil Judge Class-II, Durg
3.	Shri Sarv Vijay Agrawal	Civil Judge Class-II, Narayanpur at Jagdalpur
4.	Shri Vivek Garg	II Civil Judge Class-II, Jagdalpur
5.	Shri Tajuddin Asif	Civil Judge Class-II, Kanker
6.	Smt. Ganga Patel	Civil Judge Class-II, Janjgir-Champa
7.	Shri Dular Singh	I Civil Judge Class-II, Sanjari-Balod, Durg
8.	Shri Harendra Singh Nag	II Civil Judge Class-II, Dantewada
9.	Shri Harish Chandra Mishra	Civil Judge Class-II, Jashpur

(1)	(2)	(3)
10.	Ku. Shweta Shrivastava	Civil Judge Class-II, Kawardha
11.	Ku. Shruti Shukla	Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Kawardha.
12.	Ku. Sweta	II Civil Judge Class-II, Raigarh
13.	Shri Om Prakash Sahu	I Civil Judge Class-II, Bemetara, District Durg
14.	Shri Umesh Kumar Upadhyay	IV Civil Judge Class-II, Jagdapur
15.	Shri Gitesh Kumar Kaushik	I Civil Judge Class-II, Mahasamund
16.	Smt. Seema Chandrakar	III Civil Judge Class-II, Raigarh
17.	Shri Devendra Sahu	I Civil Judge Class-II, Dhamtari
18.	Shri Diamond Kumar Gilhare	Civil Judge Class-II, Khairagarh, District-Rajnandgaon
19.	Shri Dheerendra Pratap Singh Dangi	IV Civil Judge Class-II, Jagdalpur
20.	Shri Sameer Kujur	II Civil Judge Class-II, Mahasamund
21.	Shri Janak Kumar Hidko	Civil Judge Class-II, Bijapur at Dantewada
22.	Shri Janardan Khare	Addl. Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Jashpur
23.	Shri Gerjesh Pratap Singh	Addl. Judge to the Court of II Civil Judge Class-II, Mahasamund.
24.	Ku. Priyanka Tembhurkar	IV Civil Judge Class-II, Raigarh
25.	Shri Hemant Kumar Ratre	Civil Judge Class-II, Dongargarh at Rajnandgaon
26.	Smt. Archana Bhaskar	II Civil Judge Class-II, Janjgir-Champa
27.	Ku. Reshma Tigga	II Civil Judge Class-II, Dhamtari
28.	Smt. Ekta Agrawal	Civil Judge Class II, Bilaspur

The abovementioned Trainee Judges are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books and also to bring 2 Civil & 3 Criminal copies of judgments rendered by them during the actual Judicial work.

(A) Code of Civil Procedure
(B) Code of Criminal Procedure
(C) Evidence Act
(D) Limitation Act
(E) Indian Penal Code
(F) Rules & Orders-Civil & Criminal
(G) Stamp & Court Fees Act
(H) Arms Act
(I) C. G. Excise Act
(J) Legal Services Authority Act, 1987 (with C. G. Rules)

Bilaspur, the 4th April 2013

No. 2405.—In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 5 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 (as amended from time to time) and in view of the directions of Hon'ble the Supreme Court, in its order dated 04-01-07 passed in C. A. 1867/06 (Malik Mazhar Sultan and another V/s U. P. Public Service Commission & ors.), the High Court of Chhattisgarh notifies the anticipated vacancies in respect of District Judge (Entry Level) as under :—

I.

(a)	By Promotion in accordance with Rule 5(1) (a)	11 posts
(b)	By Promotion through limited competitive examination in accordance with Rule 5 (1) (b)	02 posts
(c)	By direct recruitment from the Bar in accordance with Rule 5(1) (c).	04 posts

Bilaspur, the 13th May 2013

No. 313/Confdl./2013/II-2-1/2013.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are posted in the Fast Track Courts of Additional District Judges established by the State Government vide Notification No. 3526/21-B/13 dated 30-04-2013 in the capacity as mentioned in Column No. (4) from the date they assume charge of their office and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (3) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	Sessions Division (3)	Posted as (4)
1.	Shri Anestus Toppo, II Additional District & Sessions Judge, Jagdalpur.	Bastar (Jagdalpur)	Fast Track Court of Additional District & Sessions Judge, Jagdalpur.
2.	Smt. Girija Devi Meravi, IV Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.	Bilaspur	Fast Track Court of Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.
3.	Smt. Anita Dahariya, Additional District & Sessions Judge, Dantewara.	Dakshin Bastar (Dantewara)	Fast Track Court of Additional District & Sessions Judge, Dantewara.
4.	Shri Sypriel Xess, Additional District & Sessions Judge, Dhamtari.	Dhamtari	Fast Track Court of Additional District & Sessions Judge, Dhamtari.
5.	Shri Hemant Kumar Agrawal, II Additional District & Sessions Judge, Durg.	Durg	Fast Track Court of Additional District & Sessions Judge, Durg.
6.	Shri Jaideep Vijay Nimonkar, Additional District & Sessions Judge, Janjgir-Champa.	Janjgir-Champa	Fast Track Court of Additional District & Sessions Judge, Janjgir-Champa.

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Shri Sudhir Kumar, Additional District & Sessions Judge, Jashpur.	Jashpur	Fast Track Court of Additional District & Sessions Judge, Jashpur.
8.	Smt. Kiran Chaturvedi, Additional District & Sessions Judge, Kawardha.	Kawardha	Fast Track Court of Additional District & Sessions Judge, Kawardha.
9.	Shri Chandra Kumar Ajgalley, Additional District & Sessions Judge, Korba.	Korba	Fast Track Court of Additional District & Sessions Judge, Korba.
10.	Shri Deepak Kumar Tiwari, I Additional District & Sessions Judge, Manendragarh at Baikunthpur.	Koriya (Baikunthpur)	Fast Track Court of Additional District & Sessions Judge, Baikunthpur.
11.	Smt. Vinita Warner, II Additional District & Sessions Judge, Mahasamund	Mahasamund	Fast Track Court of Additional District & Sessions Judge, Mahasamund
12.	Shri Ashok Kumar Sahu, II Additional District & Sessions Judge, Raigarh.	Raigarh	Fast Track Court of Additional District & Sessions Judge, Raigarh.
13.	Smt. Pragya Pachouri, VI Additional District & Sessions Judge, Raipur.	Raipur	Fast Track Court of Additional District & Sessions Judge, Raipur.
14.	Smt. Dhaneshwari Sidar, I Additional District & Sessions Judge, Rajnandgaon.	Rajnandgaon	Fast Track Court of Additional District. & Sessions Judge, Rajnandgaon.
15.	Smt. Suman Ekka, II Additional District & Sessions Judge, Ambikapur.	Surguja (Ambikapur)	Fast Track Court of Additional District & Sessions Judge, Ambikapur.
16.	Shri Hemant Saraf, Additional District & Sessions Judge, Kanker.	Uttar Bastar (Kanker)	Fast Track Court of Additional District & Sessions Judge, Kanker.

By order of the High Court,
R. C. S. SAMANT, I/C Registrar General.

HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE
High Court of Chhattisgarh, Bilaspur

Bilaspur, the 13th June 2013

No. 938/HCLSC/2013.—In exercise of powers conferred under Sub-section 2 of Section 8-A of the Legal Services Authority Act, 1987, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to nominate Hon'ble Mr. Justice Satish K. Agnihotri, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, as Chairman of the Chhattisgarh High Court Legal Services Committee, Bilaspur, with immediate effect from 12th June, 2013.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
RAJESH SHRIVASTAVA, I/c. Secretary.